



बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, जमुई विकसित बिहार के 7 निश्चय में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना संबंधित

आवश्यक सूचना

- ✓ वैसे आवेदक जिन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्चतर शिक्षा हेतु निबंधन/नामांकन करवा लिया है या कहीं नियोजित हैं या स्व-रोजगार कर रहे हैं, वह इस योजना के अंतर्गत योग्य नहीं है।
- ✓ ऐसे अयोग्य लाभार्थी यथाशीघ्र अपने जिले के DRCC में इसकी सूचना दें, अन्यथा मामला संज्ञान में आने के पश्चात वह वैधानिक कार्रवाई के पात्र होंगे।
- ✓ लाभार्थी के बैंक खाता का उनके आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
- ✓ नियमित रूप से भत्ता प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में Re-Confirmation SMS भेजना अनिवार्य है।
- ✓ लाभार्थी का रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर परिवर्तित होने की स्थिति में आवेदक के द्वारा ऑनलाईन पोर्टल-
www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर login करें, ईमेल/मोबाईल पर प्राप्त OTP के आधार पर, अथवा DRCC पर इसकी जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य है।

जिला पदाधिकारी
जमुई

विज्ञापन के प्रकाशन / प्रकाशन हेतु विधि ज्ञाने वाले आवेदन पत्र के साथ सत्यापन किया जाये।

कार्यालय का नाम :- जिला निबंधन एवं परामर्श वेन्ड, जमुई

विभाग का नाम (जिसके अंतर्गत कार्यालय है) :- योजना एवं विनाय विभाग, बिहार पर्यटन

विज्ञापन दाता पदाधिकारी का नाम :- श्री अक्वीश कुमार सिंह

विज्ञापन दाता पदाधिकारी का पदनाम :- जिला पदाधिकारी, जमुई

संवादन नंबर :-

ई-मेल :-

मीडिया कटेगरी :-

प्रिंट मीडिया

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए

विज्ञापन का माध्यम :-

News Paper

Magazine

विज्ञापन के लिए :-

विज्ञापन का प्रकार :-

Classified

Display

General Basis

Urgent

(क) परामर्श के मामले में General basis हेतु परिमाण (BOQ) बिक्री प्रारम्भ की तिथि के 15 दिन पहले विज्ञापन दे एवं Urgent पहले विज्ञापन दें।

(ख) Procurement के मामले में General basis हेतु कोटेशन (Quotation) जमा करने की अंतिम तिथि के 15 दिन पहले विज्ञापन हेतु 7 दिन पहले विज्ञापन दे।

(ग) अन्य के लिए General basis में प्रकाशन से 3 दिन पहले एवं Urgent में अगले दिन के लिए विज्ञापन दें।

1. Classified के लिए :- Tender Procurement Recruitment Notice

2. यदि निविदा (Tender) हो तो :-

- परिमाण (BOQ) बिक्री के आरंभ होने की तिथि
- परिमाण (BOQ) बिक्री की अंतिम तिथि
- Tender जमा करने की अंतिम तिथि

3. यदि Procurement हो तो

- कोटेशन (Quotation) जमा करने की अंतिम तिथि

4. विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि :- 20.10.2021

5. विज्ञापन का संस्करण :-

जमुई

विज्ञापन से सम्बंधित विशिष्ट अंश (Image/Size, etc) :-

17. Display के लिए :-

a. प्रयत्न करें :- Colour Black & White

टेलीविजन/रेडियो के प्रसारण के लिए :-

b. प्रसारण का माध्यम :- TV News Channel Railway Station Radio Cinema Hall Airport

c. प्रसारण तिथि/स्थान :-

विज्ञापन प्रसारण तिथि की तिथि :-

प्रसारण की अंतिम तिथि :-

d. विज्ञापन सामग्री का विवरण :-

विज्ञापन सामग्री के लिए दस्तावेज सलरन कर दिया गया है :-

e. प्रसारण सामग्री का विवरण :-

f. विज्ञापन सामग्री का प्रसारण पत्र (अधिकतम 2MB आकार, प्रारूप PDF) हाँ / नहीं

g. विज्ञापन सामग्री का प्रसारण निविदा/मोटिस/बरीद/पत्रिका (अधिकतम 20MB आकार, प्रारूप MS-Word(DOCX)) हाँ / नहीं

h. पोर्टल पर अपलोड हेतु दस्तावेज (निविदा/मोटिस/बरीद/पत्रिका से सम्बंधित) (अधिकतम 15MB आकार, प्रारूप PDF) हाँ / नहीं

(क) विज्ञापन सामग्री के लिए :-

a. विज्ञापन का प्रसारण पत्र (अधिकतम 2MB आकार, प्रारूप PDF) हाँ / नहीं

b. प्रसारण हेतु मीडिया file (अधिकतम 20MB आकार, प्रारूप MP4) हाँ / नहीं

मे सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

तिथि :-

[Signature]
जिला पदाधिकारी
पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट - कृपया सम्बंधित प्रभाग में का निशान लगाये।

विज्ञापन की प्रतिलिपि अनुमति विज्ञापन के निर्माण हेतु समाचार पत्र/पत्रिकाओं के चयन में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापनों के प्रसारण हेतु विज्ञापन सामग्री के डिजाइन में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार सुचना एवं जन-संपर्क विभाग में निहित है।

किसी भी बर्तनाई निवारण हेतु ई-मेल advertisement.iprd@gmail.com पर मेल भेजें।